बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

का.आ.सं.–15/बि.स.से.–01–03/2018–सा.प्र. . 308. . ./पटना–15, दिनांक . 8.7.19.

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 468, दिनांक 15.11.2018 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत नियुक्त निम्नांकित नवनियुक्त सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–7 में अंकित तिथि से औपबंधिक योगदान स्वीकृत करते हुए स्तम्भ–8 में अंकित विभाग/संलग्न कार्यालय में अगले आदेश तक के लिये पदस्थापित किया जाता है:–

क्र. सं.	का.आ.स. 468, दि. 15.11.18 का क्रमांक	नव–नियुक्त सहायक का नाम	रौल नं0	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान की तिथि	पदस्थापित विभाग/संलग्न कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	109	श्री नीरज कुमार	107148	118	27/03/90	28-06-2019	बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना
2	134	श्री सुजित कुमार सिंह	105035	149	15/05/88	01-07-2019	बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना
3	160	श्री रजनीश कुमार	111462	179	08/01/82	08-05-2019	आपदा प्रबंधन विभाग

2. उपर्युक्त नव नियुक्त सहायकों को निदेश दिया जाता है कि अपने नव पदस्थापित विभाग/कार्यालय में दिनांक 09.07.2019 तक योगदान करें। उक्त समय सीमा के भीतर योगदान करने वाले सहायकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–7 में अंकित योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद योगदान देने वाले सहायकों को पदस्थापित किये गये विभाग में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त कर्मी के लिये दो प्रतियों में सेवा–पुस्त खोली जायेगी। नियुक्ति–पत्र के प्रति के साथ सेवा–पुस्त की एक प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को भेजी जायेगी। सेवा–पुस्त में नियुक्त कर्मी का एक अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चिपका रहेगा। संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि नव–नियुक्त सहायकों का तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेगें और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि करा लेगें। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव–नियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

4. प्रथम वेतन–विपत्र के साथ नियुक्ति–पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति–पत्र से कर लेगें।

5. नव–नियुक्त कर्मी का नियुक्ति–पत्र राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित करने हेतु अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से भी नियुक्ति–पत्र की सत्यता की जाँच कर लेगें।

6. नव–नियुक्त कर्मियों का नयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा–निवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाय।

7. नव–नियुक्त कर्मियों का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण–पत्रों आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तदनुसार फलाफल से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

8. नियुक्ति–पत्र की प्रकाशित राजपत्र की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजी जायेगी, जिससे कोषागार पदाधिकारी नियुक्ति–पत्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना चाहेगे।

9. नव–नियुक्त कर्मियों को पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–01–03/2018–सा.प्र. 308 /पटना–15, दिनांक 8.7.19.

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–01–03/2018–सा.प्र. 308 /पटना–15, दिनांक 8.7.19.

प्रतिलिपिः– संबंधित नव–नियुक्त सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–01–03/2018–सा.प्र. 308 /पटना–15, दिनांक 8.7.19.

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं कार्यालय प्रधान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–01–03/2018–सा.प्र. 308 /पटना–15, दिनांक 8.7.19.

प्रतिलिपिः– श्री शकील अहमद, आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव।